अध्याय 6

केन्द्र सरकार

सरकार का अर्थ एवं परिभाषा : (Meaning and Definition of Government)

राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है, इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो राज्य के निश्चित भू–भाग (Territory) में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है तथा उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दण्डित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। गार्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है– ''सरकार वह अभिकरण या मशीन है, जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है।''

सरकार के प्रमुख तीन अंग निम्नानुसार हैं :– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।

व्यवस्थापिका :–

सरकार के तीन अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। भारतीय राज व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी दो स्तर पर हुआ है : (1) संघीय व्यवस्थापिका और (2) राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को 'संसद' (Parliament) का नाम दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गयी है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम 'संसद' है।

लोकसभा की रचना या संगठन

लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।

1. सदस्य संख्या :

मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गयी थी, लेकिन समय–समय पर इसमें वृद्धि की गयी। अब गोआ, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति आंग्ल–भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे।

2. निर्वाचन :

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र 'एकल–सदस्यीय' रखे गये हैं।

3. सदस्यों के लिए योग्यताएँ :

(i) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
(ii) उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो।
(iii) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किये हुये हो।
(iv) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो।

4. कार्यकाल :

लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ऐसा अब तक 9 बार किया गया है।

5. अधिवेशन :

लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाये और स्थगित किये जाते है और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

6. लोकसभा के पदाधिकारी :

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष : संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाये, परन्तु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि

इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गयी हो। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा भत्ते प्राप्त होंगे।

अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ : भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश लोकसदन (House of Commons) के अध्यक्ष को हैं।

1. अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शान्ति–व्यवस्था और अनुशासन बनाये रखने का कार्य किया जाता है।

2. लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में वाद–विवाद का समय निश्चित करता है।

3. वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों (Select Committees) के सभापतियों को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है।

4. अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।

5. संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र–व्यवहार उसके ही द्वारा होता है।

राज्यसभा की रचना या संगठन

राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्त्व और उपयोगिता है :

1. सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति :

संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परन्तु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज–सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। राज्य विधानमण्डलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

2. सदस्यों की योग्यताएँ :

राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएँ हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। अन्तर केवल यह है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु किन्तु राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु होना आवश्यक है।

3. सदस्यों का कार्यकाल :

राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा के एक–तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

4. राज्यसभा के पदाधिकारी :

राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते है– सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है।

संसद के कार्य तथा शक्तियाँ
(Powers and Functions of the Parliament)

संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख अग्रलिखित रूपों में किया जा सकता है :

1. विधायी शक्तियाँ :

संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमण्डल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। किन्तु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है।

2. संविधान में संशोधन की शक्ति :

संविधान में संशोधन के सम्बन्ध में संसद को महत्त्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमण्डल में नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक–पृथक दोनों सदनों के दो–तिहाई बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक होती है।

3. वित्तीय शक्तियाँ :

जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्तमन्त्री द्वारा प्रस्तावित बजट (राष्ट्रीय आय–व्यय का लेखा) जब तक संसद (लोकसभा) से स्वीकार न करा लिया जाये उस समय तक आय–व्यय से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा।

4. प्रशासनिक शक्तियाँ :

भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल संसद (व्यवहार में लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है, जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है।

5. निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ :

अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मण्डल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।

6. विविध शक्तियाँ :

उपर्युक्त के अतिरिक्त संसद को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है :

(क) संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में दो–तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(ख) राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए, घोषणा के एक महिने के अन्दर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में छः माह के लिए लागू होता है तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो यह 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होगी।

लोकसभा की शक्तियाँ अथवा अधिकार और कार्य

1. विधायी शक्ति :

संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के सम्बन्ध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते है और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जायेंगे।

2. वित्तीय शक्ति :

भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सम्बन्ध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गयी है और इस सम्बन्ध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अन्दर–अन्दर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण की शक्ति :

भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल संसद (व्यवहार में लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।

4. संविधान संशोधन सम्बन्धी शक्ति :

लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन–परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है।

5. निर्वाचक मण्डल के रूप में कार्य :

लोकसभा निर्वाचक मण्डल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं।

राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ

शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है।

1. विधायी शक्तियाँ : लोकसभा के साथ–साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई है।

2. संविधान संशोधन की शक्ति : संविधान संशोधन के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जायेगा।

3. वित्तीय शक्ति : राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है यद्यपि इस सम्बन्ध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गयी है। संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जायेंगे। लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जायेंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस

विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा धन विधेयक के सम्बन्ध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने।

4. कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति : संसदात्मक शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परन्तु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मन्त्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है।

5. विविध शक्तियाँ :

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं :

(i) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

(ii) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।

(iii) राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है, जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

(iv) राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है।

(v) एक माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक–पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है।

6. विशेष अधिकार :

राज्यसभा को दो ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का सम्बन्ध देश के संघीय ढाँचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते अग्र प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं :

(i) अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित कर सकती है। इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, राज्यसभा ही अपने दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर नयी अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार केन्द्र सरकार को दे सकती है।

कार्यपालिका — सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है।

राष्ट्रपति :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबन्ध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् व भारत का महान्यायवादी होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद् कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अन्तर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है।

राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ :

संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नांकित योग्यताएँ निश्चित की गयी है :

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अन्तर्गत पदाधिकारी हो, या लाभ का पद धारण किए हो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता।

राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।

राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of the President)

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यह पद्धति इस प्रकार है :

अप्रत्यक्ष निर्वाचन :

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक–मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें

(1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और

(2) राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संवैधानिक संशोधन (1992) के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

शामिल होंगे–

एकल संक्रमणीय मत पद्धति :

संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे 'एकल संक्रमणीय मत पद्धति' (Single Transferable Vote System) कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए 'न्यूनतम कोटा' (Quota) प्राप्त करना आवश्यक होता है। 'न्यूनतम कोटा' निर्धारित करने के लिए निम्नांकित सूत्र अपनाया जाता है।

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{दिये गये वैध मतों की संख्या}}{\text{निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या}} \div 1000$$

पदच्युति की पद्धति

महाभियोग (Impeachment) :

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किये जाने पर संविधान में दी गयी पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जायेगा और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाये, तो उसके उपरान्त प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम–से–कम दो–तिहाई बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जावेगा।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions of the President)

अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है : (1) सामान्यकालीन शक्तियाँ, और (2) संकटकालीन शक्तियाँ।

सामान्यकालीन शक्तियाँ अथवा अधिकार

संविधान के द्वारा सामान्यकाल में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं उनका अध्ययन निम्नलिखित पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :

1. कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ : संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, ''संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा।'' इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जायेंगे।

(i) महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति :

राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत आदि।

(ii) शासन संचालन संबंधी शक्ति :

इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाये जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है।

(iii) वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति :

भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण–पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से सन्धियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।

(iv) सैनिक क्षेत्र में शक्ति :

राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किन्तु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शान्ति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है।

2. विधायी शक्तियाँ :

भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं :

(i) विधायी क्षेत्र का प्रशासन :

राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय पूर्व भंग किया

जा चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारम्भ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है।

(ii) सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति :

राष्ट्रपति को राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गयी हो। वह लोकसभा में 2 आंग्ल–भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

(iii) विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग :

संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी।

(iv) अध्यादेश जारी करने की शक्ति :

जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ :

राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवायेगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान माँगें लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती।

4. न्यायिक शक्तियाँ :

संविधान में ''न्यायपालिका की स्वतन्त्रता'' के सिद्धान्त को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्त्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अन्तर्गत दण्ड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दण्ड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है।

संकटकालीन अधिकार : उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग

संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गयी है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है :

1. युद्ध, बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था–

उद्घोषणा की विधि :

मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शान्ति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा दो माह तक लागू रहती और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता, रख सकता था। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है :

प्रथम, अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आंशका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आन्तरिक अशान्ति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता।

द्वितीय, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे।

तृतीय, घोषणा के एक माह के अन्दर संसद के विशेष बहुमत (पृथक–पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत) से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी।

चतुर्थ, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है।

2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था–

उद्घोषणा की विधिः–

अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह उस राज्य के लिए संकटकाल की घोषणा कर सकता है।

संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा दो माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग–अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में तीन वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू

नहीं रखा जा सकेगा।

3. वित्तीय संकट–उद्घोषणा की विधि :

अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाये कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है, जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है।

उपराष्ट्रपति (Vice-President)

निर्वाचन : भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गयी है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है : (1) वह भारत का नागरिक हो, (2) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, (3) उसमें वे सब योग्यताएँ पायी जायें जो संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गयी हों।

पदच्युति :

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किन्तु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किये गये प्रस्ताव से जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत भी किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है।

उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य : उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार है

1. राज्यसभा का पदेन सभापति :

उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है, परन्तु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों, तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति का यह सबसे प्रमुख कार्य है।

2. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना : उपराष्ट्रपति निम्न चार स्थितियों में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है :– (i) राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, (ii) राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने पर, (iii) महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर, (iv) अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में जैसे रोग या विदेश यात्रा।

प्रधानमंत्री (Prime Minister)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति :

संविधान में उपबन्धित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है, जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विवेक का प्रयोग कर सके।

प्रधानमंत्री – कार्य, शक्तियाँ एवं अधिकार (Functions and Powers of the Prime Minister)

संसदात्मक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ही संविधान भवन रूपी वृत्तखण्ड की मुख्य शिला होता है।

1. मंत्रिपरिषद् का निर्माण :

अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करता होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अन्तर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद् में कितने मन्त्री हों और कौन–कौन मन्त्री हों?

2. मन्त्रियों में विभागों का बँटवारा और परिवर्तन :

मन्त्रियों में विभागों का बँटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा किये गये अन्तिम विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती है।

3. मन्त्रिपरिषद् का कार्य–संचालन :

प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डल की बैठकों का सभापतित्व और मन्त्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। मन्त्रिपरिषद् की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या 'एजेण्डा' में रखे।

4. शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय :

प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके।

5. लोकसभा का नेता :

प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतया लोकसभा का, नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किये जाते हैं।

6. राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल के बीच सम्बन्ध स्थापितकर्ता : सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। वही राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल के निश्चयों से परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमण्डल तक पहुंचाता है।

7. विभिन्न पद प्रदान करना :

संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति

राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं वरन् प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है।

मन्त्रिपरिषद् (Council of Ministers)

मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबन्धित है कि ''राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।'' सैद्धान्तिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गयी है और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गयी है, लेकिन संविधान द्वारा अपनायी गयी संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक–मात्र है और वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता 'सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्तियां मंत्रिमण्डल में निहित हैं।

मंत्रिपरिषद का गठन

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जायेगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।

2. प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन :

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है।

3. मंत्रियों में कार्य–विभाजन :

मंत्रिपरिषद् के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उनके बीच विभागों के विभाजन का किया जाता है। वैधानिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है।

4. मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएँ :

मंत्रिपरिषद् का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अन्दर–अन्दर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा।

5. मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण :

पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की दो शपथ लेनी होती है।

6. मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल :

मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्रिपरिषद् तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद् अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतया 5 वर्ष होता है, अपने पद पर बनी रहती है।

7. मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते :

प्रधानमंत्री, केबीनेट के सदस्यों, राज्यमंत्रियों तथा उपमंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिये जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय–समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती है।

8. मंत्रियों की श्रेणियाँ (मंत्रिपरिषद् तथा मंत्रिमण्डल या केबिनेट) :

मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती है : मंत्रिमण्डल या केबिनेट के सदस्य, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री। प्रथम श्रेणी के मंत्री केबिनेट सदस्य होते हैं जो कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। केबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते है। दूसरी श्रेणी में राज्यमंत्री आते हैं जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उपमंत्री के बीच की होती है। ये विशेष विभागों से सम्बन्धित रहते हैं और कभी–कभी उनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को केबिनेट की उन बैठकों में आमन्त्रित किया जाता है, जिनमें उनके विभाग से सम्बन्धित प्रश्न विचाराधीन होते हैं।

राज्यमंत्री के बाद उपमंत्री की श्रेणी आती है जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं।

मंत्रिमण्डल की शक्तियाँ (Powers of the Cabinet)

संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि ''मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उसके कार्यो के सम्पादन में सहायता और परामर्श देगी।'' किन्तु यह परम्परागत शब्दावली है और जहाँ तक व्यवहार का सम्बन्ध है, मन्त्रिमण्डल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में, राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग, मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है और इसे **'भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय'** कहा जाता है।

1. राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना :

मन्त्रिमण्डल का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मन्त्रिमण्डल यह निश्चित करता है कि आन्तरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनायी जायेगी।

2. कानून निर्माण पर नियन्त्रण :

संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मन्त्रिमण्डल का कार्यक्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है वरन् इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। मन्त्रिमण्डल

द्वारा नीति निर्धारित कर दिये जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मन्त्रिमण्डल के सदस्य ही महत्त्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते है।

3. राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियन्त्रण :

सैद्धान्तिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मन्त्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है। मन्त्रिमण्डल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते है। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यो की देखभाल करते हैं।

4. वित्तीय कार्य :

देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मन्त्रिपरिषद् का होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के सम्भावित आय–व्यय का ब्यौरा (बजट) प्रस्तुत किया जाता है। बजट मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्तमंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मन्त्रिमण्डल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है।

5. वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन :

भारत के वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन मन्त्रिमण्डल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी घोषणाएँ की जाती है और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किये जायें।

6. नियुक्ति सम्बन्धी कार्य :

संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मन्त्रिमण्डल के द्वारा ही की जाती है।

भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने एवं शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है।

न्यायपालिका

सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन

1. न्यायाधीशों की संख्या :

मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गयी थी और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्ते निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया था। 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है, जिनसे वह इस सम्बन्ध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते है व राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते है।

3. न्यायाधीशों की योग्यताएँ :

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है :

(अ) वह भारत का नागरिक हो।

(ब) वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम–से–कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।

या

किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो।

या

राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो।

4. कार्यपालिका तथा महाभियोग :

साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग–अलग अपने कुल सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते है तो भारत के राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा।

5. वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें :

मुख्य न्यायाधीश को एक लाख रूपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रूपये मासिक वेतन मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति पेंशन (ग्रेच्युटी) की व्यवस्था भी है। वेतन एवं भत्ते समय–समय पर संशोधित होते हैं।

6. उन्मुक्तियां :

न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है।

7. न्यायालय का मुख्य स्थान :

अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।

8. न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध :

संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, वे पद से निवृत्ति के बाद भारत में किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से सामने वकालत नहीं कर सकते है।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ तथा कार्य (Jurisdiction of Powers and Functions of The Supreme Court)

भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है जिसका अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है :

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार :

सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित दो वर्गों में रखा जा सकता है :

(क) प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार : प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है, जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्न विषय आते हैं :

भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद,

भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद,

दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई विवाद।

(ख) प्रारम्भिक समवर्ती क्षेत्राधिकार : संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित जो विवाद हैं, वे चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किये जा सकते है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार :

सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के साथ–साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है और यह भारत का अन्तिम अपीलीय न्यायालय है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी व विशिष्ट।

(क) संवैधानिक : संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कानून का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है।

(ख) दीवानी : इस सम्बन्ध में मूल संविधान के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक हो, किन्तु 1973 में हुए 30वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधन कर उक्त धनराशि की सीमा (20,000) हटाते हुए अब यह निश्चित किया गया है कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी।

(ग) फौजदारी : फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें (1) उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु–दण्ड दे दिया हो, जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध–मुक्त कर दिया था, या (2) उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्य–दण्ड दे दिया हो, या (3) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है।

(घ) विशिष्ट : कुछ ऐसे मामले हो सकते है जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अतः अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमण्डल (Tribunal) के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे।

3. अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार :

संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। उसकी इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है।

4. परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार :

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, जो सार्वजनिक महत्त्व का है तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श माँग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा।

5. अभिलेख न्यायालय (Court of Record) :

अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायलय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं : प्रथम, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जायेंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। द्वितीय, इस न्यायालय के द्वारा 'न्यायालय अवमानना' (Contempt of

Court) के लिए किसी भी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।

6. मौलिक अधिकारों का रक्षक :

भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है।

7. संविधान का संरक्षण–न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति (Guardian of the Constitution-Power of Judicial Review) :

संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के सरंक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है जिसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जाँच करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमण्डल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो संघीय संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को 'न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति' कहा जाता है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को 'संसद' का नाम दिया गया है। संसद के निम्न तीन अंग है :

(1) राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का प्रधान है, और इसकी कानून निर्माण के क्षेत्र में भी भूमिका है।

(2) लोकसभा– जो प्रथम या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है।

(3) राज्यसभा, जो द्वितीय अर्थात् उच्च सदन या वरिष्ठ सदन है।

- लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है।
- संविधान लागू किये जाने के समय से ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है।
- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
- लोकसभा के दो पदाधिकारी है : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिनका चुनाव लोकसभा स्वयं ही करती है।
- राज्यसभा : राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।
- कार्यकाल : – राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत हो जाते हैं।
- राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते है : सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- संसद के कार्य और शक्तियाँ : विधायी शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ।
- संघीय कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् और भारत का महान्यायवादी आते है।
- राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है।
- राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है।
- भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है।
- राष्ट्रपति के अधिकार अथवा शक्तियाँ : 1. सामान्य कालीन शक्तियां, और 2. संकटकालीन शक्तियां।
- उप–राष्ट्रपति : उप–राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। कार्यकाल 5 वर्ष।
- उप–राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य : राज्यसभा का पदेन सभापति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना।
- संघीय मंत्रिपरिषद् : संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- मंत्रिपरिषद् की रचना या गठन : राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों में कार्य विभाजन।
- मंत्रियों की श्रेणियाँ : तीन श्रेणियाँ : मंत्रिमण्डल या केबीनेट के सदस्य, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री। केबीनेट (मंत्रिमण्डल) मंत्रिपरिषद् की आन्तरिक और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समिति है।
- मंत्रिमण्डल की शक्तियाँ और कार्य : सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण समन्वयकारी कार्य, वित्तीय कार्य, वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन, नियुक्ति सम्बन्धी कार्य, अन्य कार्य।
- प्रधानमंत्री : प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
- सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्त्व : संविधान का रक्षक, संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक।
- सर्वोच्च न्यायालय का गठन : वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है।

● सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ तथा कार्य :

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (क) प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार (ख) प्रारम्भिक समवर्ती क्षेत्राधिकार
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार : संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट
3. अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार,
4. अभिलेख न्यायालय,
5. मौलिक अधिकारों का रक्षक,
6. संविधान का संरक्षक, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति।

अभ्यास प्रश्न

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
2. राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है?
3. राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
4. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता कौन करता है?
5. संसद के सत्रावसान में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है, उसे क्या कहते हैं?
6. किस बात के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
7. कम से कम कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके भारतीय नागरिक को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है?
8. एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है?
9. 'अभिलेख न्यायालय' का आशय क्या है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. उप राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति समझाए।
2. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कौन–सी योग्यताएँ आवश्यक है?
3. राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है?
4. राष्ट्रपति संविधान के कौन–कौन से अनुच्छेदों के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है?
5. राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य और राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?
6. उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
7. दीवानी और फौजदारी मुकदमे किस स्थिति में अपील के रूप में उच्चतम न्यायालय में सुने जा सकते हैं?
8. उच्चतम न्यायालय को एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) क्यों कहा जाता है?
9. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किसके द्वारा और कैसे हटाये जा सकते है?
8. 'न्यायिक पुनर्विलोकन' का महत्त्व स्पष्ट कीजिये।

निबन्धात्मक प्रश्न :

1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए।
2. राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए।
3. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए।
4. मंत्रिमण्डल के गठन एवं उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए।
5. उच्चतम न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए।
6. उच्चतम न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।